



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021
माघ 9, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 129/9-1-2021-424सा-12
लखनऊ, 29 जनवरी, 2021

अधिसूचना

संशोधन/शुद्धिपत्र

प0आ0-44

जिला अलीगढ़ में नगर पंचायत पिसावा के गठन के संबंध में अंतिम अधिसूचना संख्या 2857/9-1-2019-424सा-12 दिनांक 31.12.2019 निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त नगर पंचायत में ग्राम रूपनगर का उल्लेख नहीं है, जबकि जनपद स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव के साथ संलग्न रूप पत्र 'ट' में ग्राम रूपनगर, नगर पंचायत पिसावा, जिला अलीगढ़ में शामिल है। नगर पंचायत पिसावा के मानचित्र में 07 ग्राम-पिसावा, सुजावलगढ़, जलालपुर, पोस्तीका, शेरपुर, नगला भूप सिंह एवं रूपनगर सम्मिलित है, परन्तु नगर पंचायत, पिसावा के प्रादेशिक क्षेत्र में 06 ग्रामों की सीमा के गाटे अधिसूचित हो सके हैं। ग्राम रूपनगर के सीमावर्ती गाटे तकनीकी कारणों से अधिसूचित होने से रह गये हैं। ग्राम रूपनगर, नगर पंचायत पिसावा, जिला अलीगढ़ की सीमा के अन्दर हैं, ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत चुनाव कराया जाना व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतएव जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा उपरिवर्णित छूट गये ग्राम रूपनगर की सीमावर्ती गाटों को नगर पंचायत, पिसावा, जिला अलीगढ़ में अधिसूचित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2—उपरोक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 2979/9-1-2016-426सा-14, दिनांक 06.10.2016 में निर्धारित मानक के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार नगर पंचायत पिसावा, जिला अलीगढ़ के गठन संबंधी अधिसूचना संख्या 2857/9-1-2019-424सा-12 दिनांक 31.12.2019 में नगर पंचायत के सीमावर्ती गाटा संख्याओं का उल्लेख किया गया है। सीमावर्ती गाटाओं के अन्दर में पड़ने वाले समस्त गावों/राजस्व ग्रामों को नगर पंचायत का भाग माना जायेगा।

3—इस प्रकार नगर पंचायत पिसावा के मानचित्र में प्रदर्शित 07 ग्राम—पिसावा, सुजावलगढ़, जलालपुर, पोस्तीका, शेरपुर, नगला भूप सिंह एवं रूपनगर, नगर पंचायत पिसावा, जिला अलीगढ़ का भाग माना जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।